सं. 4-6/2015-बीपी-2(कल्याण संस्थान)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 14 दिसम्बर 2015

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम
16-20 बाराखम्बा लेन
नई दिल्ली- 110001

विषय : अक्टूबर, 2015 से मार्च 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही हेतु राज्य सरकारों को कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07 मई, 2015 के अनुक्रम में वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही (अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016) के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत 6 राज्यों को चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा के मासिक आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

(टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल(प्रति माह)	गेहूं (प्रति माह)
1.	मिज़ोरम	79.44	0
2.	तमिलनाडु *	2743.61	0
3.	तेलंगाना	2406.00	0
4.	गोवा	27.60	11.84
5.	पश्चिम बंगाल	102.406	57.310
6.	मध्य प्रदेश	0	625.0
	कुल	5359.056	694.15

* तमिलनाडु राज्य सरकार को उपरोक्त खाद्यान्न का आवंटन चावल की 2884.749 टन खर्च नहीं की गई मात्रा के समायोजन के बाद किया गया है।

** पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को उपरोक्त खाद्यान्न का आवंटन चावल की 516.085 टन और गेहूं के 140.639 टन की खर्च नहीं की गई मात्रा का समायोजन करने के बाद किया गया है।

2. अक्टूबर, 2015, नवम्बर 2015 और दिसम्बर 2015 के माह के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से क्रमश: 45 और 50 दिनों तक होगी और जनवरी , 2016 से मार्च, 2016 के लिए यह सरकार के तत्काल निर्देश के अनुसार होगी।

3. भारतीय खाद्य निगम उपरोक्त तालिका में प्रत्येक राज्य के सामने किए गए उल्लेख के अनुसार खाद्यान्न (चावल और गेहूं) जारी करेगा। खाद्यान्नों की उक्त मात्रा संबंधित राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न की लागत के पूर्व-भुगतान पर राज्यों को भारतीय खाद्य निगम के नजदीकी गोदाम/डिपो से जारी की जाएगी।

4. भारतीय खाद्य निगम अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी करें और इस विभाग को भी तदनुसार सूचित करें ।

भवदीय,

असित

(असित हलदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1 सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, मिज़ोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से अनुरोध है कि खाद्यान्न वैधता अवधि के भीतर उठाए जाएं और कल्याण संस्थान स्कीम के वास्तविक लाभार्थियों में वितरित किया जाए। वर्ष 2016-17 के लिए खाद्यान्न आवंटन पर, वर्ष 2015-16 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर संबंधित खाद्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप जीएफआर-19-ए में प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण खाद्यान्न के गैर-आवंटन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार की होगी।

2. महा प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

3. संचलन-1/नीति-1/अवर सचिव(बीपी-3)/गार्ड फाईल।